

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

केन्द्र ने राज्य/संघ शासित प्रदेशों को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक उपायों को लागू करने की अनुमति दी

Posted On: 29 AUG 2017 11:26AM by PIB Delhi

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंतिरत करना सुनिश्चित करने से संबंधित अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में सरकार ने उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्याज के व्यापारियों/डीलरों के संबंध में नियंत्रक उपाय अधिरोपित करने के लिए समर्थकारी बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने दिनांक 25.08.2017 को का0आ0 सं0 2785 (अ) द्वारा इस निर्णय को अधिसूचित किया। अब राज्य प्याज के संबंध में स्टॉक सीमा अधिरोपित कर सकेंगे और जमासोरीरोधी ऑपरेशनों, सट्टेबाजों और मुनाफासोरों के विरूद्ध कार्रवाई करने जैसे विभिनन कदम उठा सकेंगे।

हाल ही के सप्ताहों में विशेषतः इस वर्ष जुलाई माह के अंत से आगे प्याज की कीमतों में हुई असामान्य वृद्धि के चलते यह करना आवश्यक था, हालांकि प्याज का उत्पादन और बाजार में इसकी आपूर्ति पिछले वर्ष के दौरान इसी अविध की तुलना में बेहतर है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य के अनुसार कीमतें 15/- रु. प्रित किलोग्राम 28.94/- रु. प्रित किलोग्राम हो गई। महानगरों में यह बढ़ोतरी और भी अधिक है जैसे चेन्नई में 31/- रु. प्रित किलोग्राम, दिल्ली में 38/- रु. प्रित किलोग्राम, कोलकाता में 40/- रु. प्रित किलोग्राम और मुमुबई में 33/- रु. प्रित किलोग्राम।

सभी परिस्थितियों की जांच करने के बाद सरकार का यह तर्क है कि प्याज के मूल्यों में असामान्य वृद्धि करने वाले कारणों में प्याज की कमी के अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे कि जमास्रोरी और सट्टेबाजी इत्यादि। अत:, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ऐसे व्यापारियों, जो प्याज की सट्टेबाजी, जमास्रोरी और मुनाफास्रोरी से जुड़े हैं, के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए समर्थ बनाना आवश्यक था। इन उपायों से प्याज की कीमतों में उचित स्तर तक कमी आने का अनुमान है जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी।

AK

(Release ID: 1500954) Visitor Counter: 10









n